कार्यालय नगर निगम जयपुर,हैरिटेज

(हैरिटेज मुख्यालय भवन बड़ी चौपड़ हवामहल के पीछे जयपुर)

क्रमांक :– एफ–12/( ) ननिज हैरिटेज/DAY-NULM/2025/60 दिनांकः 19/08/2025

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI)–2025–26/02

कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा AMRUT Mitra Initiative&"Women For Tree के तहत वृक्षारोपण एवं रखरखाव का कार्य कियों जाना है। उक्त योजना के तहत Ministry of Housing & Urban Affairs के अन्तर्गत DAY-NULM योजना के तहत बने महिला स्वंय सहायता समूहो से अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्य के लिए DAY-NULM में पंजीकृत स्वंय सहायता समूहो से छः माह/एक वर्ष हेतु EOI के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव आंमत्रित किये जाते है। अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) की विस्तृत जानकारी jaipurmcheritage.org पर उपलब्ध है एवं (EOI) का प्रारूप http//sppp.rajasthan.gov.in पर देखे जा सकते है।

Particular	Date & Time
Publishing Date & Time	19/08/2025 10 :00 AM
Request for Proposal Submission Start Date & Time	20/08/2025 11 :00 AM
Request for Proposal Submission End Date & Time	26/08/2025 04 :00 PM
EOI open time & date	27/08/2025 04 :00 PM
Website for downloading Request for proposal	jaipurmcheritage.org, http//sppp.rajasthan.gov.in
Total Cost	18.54 LACS/-

(सीमा चौधरी)
उपायुक्त(DAY-NULM)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज
दिनांक :– 19/08/2025

क्रमांक :– एफ–12/( ) ननिज/DAY-NULM/2025/60

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् आयुक्त महोदय, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
2. श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
3. जनसंपर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर हैरिटेज को भैजकर लेख है कि उक्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करावें।
4. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर ACP (IT) को भेज कर लेख है कि नगर निगम जयपुर हैरिटेज की वेबसाईट www. jaipurmcheritage.org, http//sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Seema
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.18 19:43:37 IST
Reason: Approved

उपायुक्त(DAY-NULM)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

RajKaj Ref No.: 17226207

कार्यालय नगर निगम जयपुर,हैरिटेज

(हैरिटेज मुख्यालय भवन बड़ी चौपड़ हवामहल के पीछे जयपुर)

क्रमांक :– एफ–12/( ) ननिज हैरिटेज/DAY-NULM/2025/60 दिनांकः 19/08/2025

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI)–2025–26/02

कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा AMRUT Mitra Initiative&"Women For Tree के तहत वृक्षारोपण एवं रखरखाव का कार्य किया जाना है। उक्त योजना के तहत Ministry of Housing & Urban Affairs के अन्तर्गत DAY-NULM योजना के तहत बने महिला स्वंय सहायता समूहो से दिनांक 20.08.2025 को प्रातः 10:00 AM बजे से दिनांक 26.08.2025 को सायंः 4:00 AM बजे तक अभिरूचि की अभिव्यक्ति आंमत्रित की जाती है।

क्र.स.	स्थान का विवरण	पौधो की संख्या	अनुमानित राशि (लाखों में)	कार्यावधि
1	पुलिस लाइन ग्रामीण कार्यालय एवं आमेर रोड जयपुर स्थित अन्य कार्यालय में पौधारोपण एवं रखरखाव कार्य।	900	4.69	1 वर्ष
2	शहर पुलिस लाइन चांद पोल पर पौधारोपण एवं रखरखाव कार्य	900	4.69	1 वर्ष
3	राजस्थान पुलिस अकादमी पानीपेच शास्त्री नगर में पौधारोपण एवं रखरखाव कार्य	1700	4.37	6 माह
4	सांगानेरी गेट से ट्रांसपोर्ट नगर रोड डिवाईडर पर पौधारोपण एवं रखरखाव कार्य	520	2.71	1 वर्ष
5	राज राजेश्वरी बावड़ी, जयपुर में वृक्षारोपण और रखरखाव कार्य	400	2.08	1 वर्ष

1. अभिरूचि की निविदा प्रपत्र, निविदा सूचना से सम्बन्धित नियम व शर्तें/पात्रता सम्बंधित दस्तावेज कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज कार्यालय से दिनांक 20.08.2025 को प्रातः 10:00 AM बजे से दिनांक 26.08.2025 को सांयः 4:00 PM बजे तक कार्यालय समय में नगर निगम जयपुर हैरिटेज मुख्यालय के DAY-NULM शाखा के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। उक्त निविदा की विस्तृत जानकारी jaipurmcheritage.org, http//sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अभिरूचि की अभिव्यक्ति निर्धारित प्रपत्र (Annexure-I&II) में स्वीकार की जायेगी।

Signature valid
Digitally signed by Seema
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2025.08.18 1[illegible]:47:03 IST
Reason: Approved

2. महिला स्वंय सहायता समूह को अपनी पात्रता से सम्बन्धित दस्तावेज [illegible] सील बंद लिफाफे में जिनके ऊपर 'आयुक्त नगर निगम [illegible] हैरिटेज व कार्य [illegible] हेतु अंकित हो तथा वित्तीय बिड अलग से सील [illegible] लिफाफे मे, जिसके ऊपर "वित्तीय बिड" लिखा हो कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज में दिनांक 20.08.2025 को प्रातः 10:00 AM बजे से दिनांक 26.08.2025 को सांयः 4:00 PM बजे तक स्वंय द्वारा जमा करायी जानी

चाहिये। प्राप्त अभिरूची की अभिव्यक्ति दिनांक 27.08.2025 को सांय: 04:00 PM बजे उपस्थित निविदादाताओं (स्वंय सहायता समूहों) या उनके प्रतिनिधियो के समक्ष समिति द्वारा नगर निगम जयपुर हैरिटेज की DAY-NULM शाखा के कार्यालय में खोली जाएगी।

3. EOI हेतु 2 प्रतिशत अमानत राशि कार्य संख्या 01 के लिए 9380/--रू, कार्य संख्या 02 के लिए 9380/—रू, कार्य संख्या 03 के लिए 8740/—रू, कार्य संख्या 04 के लिए 5420/—रू एवं कार्य संख्या 05 के लिए 4160/—रू का डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिए **"आयुक्त, नगर निगम जयपुर हैरिटेज"** के नाम से जमा करानी होगी, जिसे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
4. केवल DAY-NULM योजना में पंजीकृत महिला स्वंय सहायता समूहों से ही EOI स्वीकार की जायगी तथा निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार नही की जायगी।
5. DAY-NULM योजना में पंजीकृत महिला स्वंय सहायता समूह यदि वह नियम व शर्तों (संलग्न) के अनुसार पात्र है तो ही उसकी वित्तीय बिड को खोला जायेगा। यदि स्वंय सहायता समूह पात्रता की शर्तो को पूरा नही कर रहा हैं तो उसे बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा।
6. निविदा L1 महिला स्वंय सहायता समूह को नियम व शर्तो से सम्बन्धित प्रमाणपत्र निविदा खोले जाने की तिथि के 3 दिनों के अन्दर उपायुक्त DAY-NULM को जमा करवाने होगे यदि किसी कारणवश L1 स्वंय सहायता समूह रिजेक्ट हो जाता हैं या पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है तो L2 को नियमानुसार कार्य का आवंटन किया जायेगा जिसके लिए किसी भी प्रकार की दलील स्वीकार नही की जाएगी।

उपायुक्त (DAY-NULM)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

Signature valid
Digitally signed by Seema
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2025.08.18 16:47:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17220317

<u>**नियम व शर्ते**</u>

1. महिला स्वयं सहायता समूह DAY-NULM योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिए। (EOI के प्रपत्र के साथ DAY-NULM योजना के नोडल अधिकारी से अद्यतन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे)
2. आवेदकर्ता महिला स्वंय सहायता समूह मिशन गाईड–लाईन के अनुसार सभी पंच सूत्र का 100 प्रतिशत पालन कर रहे हो जैसे–
    - स्वंय सहायता समूह के गठन के बाद नियमित रूप से (प्रत्येक महीने) सभी सदस्यो के साथ मासिक बैठक कर रहे हों।
    - स्वंय सहायता समूह द्वारा नियमित बैठक को दौरान नियमित बचत करना तथा बचत को 3 कार्य दिवस के अन्दर स्वंय सहायता समूह के बैंक खाते में जमा करना।
    - स्वंय सहायता समूह के सदस्यों की मांग पर स्वंय सहायता समूह की ओर से उचित व्याज दर पर ऋण मुहैया कराया गया हो।
    - स्वंय सहायता समूह के सदस्यो द्वारा की गई लेन देन/ऋण की 100 प्रतिशत वापसी नियत तिथी पर की गई हो।
    - स्वंय सहायता समूह के द्वारा रिकॉर्ड का लेखा जोखा व रख रखाव सही से किया गया हो जैसे बैठक की तिथी और बैठक में शामिल सदस्यो का विवरण बैठक के मिनिट्स/कार्यवाही, लेन देन बही और ऋण बहियो का नियमित रूप से लेखा जोखा नियमित रूप से हिसाब किताब कर लेखा बहियो को सुरक्षित रूप से संयोजित किया गया हो।
    - स्वंय सहायता समूह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में स्वंय सहायता समूह के नाम से नियमित बचत खाता संचाालित हो और वह स्वंय सहायता समूह किसी बैंक या किसी अन्य संस्था से प्रतिबन्धित/डिफॉल्टर न हो।
    - स्वंय सहायता समूह के कम से कम एक सदस्य को 8वी कक्षा तक बुनियादी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिऐ तथा उसे विभिन्न विषयों कीं पढाई की हुई होनी चाहिए।
    - जल आधारित गतिविधियां/निमार्ण कार्य में पूर्व अनुभव वाले स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता दी जायेगी।
    - वार्ड में कार्यरत स्वंय सहायता समूह को परियोजनाए प्रदान करने में प्राथमिकता दी जायेगी।
3. स्वंय सहायता समूह किसी अपराधिक गतिविधियों में शामिल न हो और न ही उसका कोई सदस्य अपराधिक गतिविधियों में शामिल होना चाहियें।
4. यदि स्वयं सहायता समूह पहले से नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र में किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है तो उसे प्राथमिकता दी जा सकती है।
5. स्वयं सहायता समूह की परफोरमेन्स व कार्य–व्यवहार संतोषजनक नहीं पाये जाने एवं किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जॉच में स्वंय सहायता समूह दोषी पाये जाने पर स्वयं सहायता समूह का चयन नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।

Signature valid
Digitally signed by Seema
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.18 10:47:03 IST
Reason: Approved

6. नगर निगम जयपुर हैरिटेज अपने विवेकाधिकार अथवा किसी भी और कारण से इस अनुबंध को कभी भी समाप्त कर सकता है।

7. स्वयं सहायता समूह को वृक्षारोपण के पश्चात का सम्पूर्ण रख–रखाव (यथा–निर्धारित समय में पानी पिलाना, निराई–गुडाई, सुरक्षा करना) किया जाना होगा।

8. स्वयं सहायता समूह को स्वयं के स्तर पर पोधों में सप्ताह में दो बार (15 लिटर प्रति पौधा) में पानी दिया जाना अनिवार्य होगा।

9. स्वयं सहायता समूहो को पौधे नगर निगम जयपुर हैरिटज द्वारा अमृत–2.0 शाखा द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे।

10. इच्छुक स्वयं सहायता समूह अपना आवेदन मय आवश्यक दस्तावेज नगर निगम हैरिटेज मुख्यालय के DAY-NULM शाखा कमरा नं 140 में जमा करा सकते है।

11. स्वंय सहायता समूह को किये गये कार्य का भुगतान अनुबंध अवधि में समय के अनुपातिक रूप से किश्तों में किया जायेगा।

उपायुक्त (DAY-NULM)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

Signature valid
Digitally signed by Seema
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.18 16:47:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17220317

(Annexure-I)

सेवा में,

श्रीमान आयुक्त महोदय
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

विषय : AMRUT Mitra Initiative&"Women For Tree के तहत वृक्षारोपण एवं रखरखाव का कार्य हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में ....स्वयं सहायता समूह ....योजना के तहत पंजीकृत है तथा स्वयं सहायता समूह..EOI के तहत कार्य करने हेतु इच्छुक है तथा स्वयं सहायता समूह निविदा की पात्रता को पूरा करता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैं :–

1. स्वंय सहायता समूह वर्ष...............................से DAY-NULM योजना में पंजीकृत है।(EOI प्रपत्र के साथ नवीनतम जारी प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है)।
2. स्वंय सहायता समूह DAY-NULM योजना में निर्धारित पांच सूत्रों का पालन करता है। (नोडल अधिकारी से प्राप्त प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है)।
4. स्वंय सहायता समूह का राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक .... में नियमित बचत खाता संचालित है। (बैंक की पास बुक की सत्यापित प्रति संलग्न है)।
5. स्वंय सहायता समूह किसी बैंक या किसी अन्य संस्था से प्रतिबन्धित/डिफाल्टर नहीं है। (स्वंय सहायता समूह द्वारा सादे कागज पर शपथ–पत्र संलग्न है।)
6. स्वंय सहायता समूह किसी अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं है और न ही उसका कोई सदस्य अपराधिक गतिविधियों में शामिल है (स्वंय सहायता समूह द्वारा सादे कागज पर शपथ–पत्र संलग्न है।)
7. स्वंय सहायता समूह के कम से कम एक सदस्य को 8वी कक्षा तक बुनियादी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिऐ तथा उसे विभिन्न विषयों की पढ़ाई की हुई होनी चाहिए। (सत्यापित प्रमाण संलग्न है)

घोषणाः

उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा सही दी गई है यदि भविष्य में यह जानकारी गलत पायी जाती है तों योजना के तहत कार्य नगर निगम बिना नॉटिस दिये कभी भी निरस्त कर सकता है जिसके लिये हमारे द्वारा कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। यदि हमारे स्वंय सहायता समूह को योजना के तहत कार्य आवंटित किया जाता है तो स्वंय सहायता समूह कार्य को तय समय सीमा में पूर्ण करेगा। यदि हमारे द्वारा कार्य अधूरा छोड़ा जाता है तो नगर निगम जयपुर हैरिटेज कानूनी कार्यवाही तथा जुर्माना करने का भी अधिकारी है।

दिनांक :...................

हस्ताक्षर
अध्यक्ष/सचिव
स्वंय सहायता समूह

(Annexure-II)

वित्तीय बिड (अलग से बंद लिफाफे में जमा करें)

सेवा में,

श्रीमान आयुक्त महोदय

नगर निगम जयपुर हैरिटेज

विषय : AMRUT Mitra Initiative&"Women For Tree के तहत वृक्षारोपण एवं रखरखाव का कार्य हेतु वित्तीय दर हेतु

महोदय,

उपरोक्त विषय के सबंध में स्वंय सहायता समूह के कार्य रेट निम्नलिखित प्रकार से है:

क्र. सं.	स्थान का विवरण	पौधो की संख्या	अनुमानित राशि (लाखों में)	स्वंय सहायता समूह का अंतिम रेट	कार्य अवधि
1	पुलिस लाइन ग्रामीण कार्यालय एवं आमेर रोड जयपुर स्थित अन्य कार्यालय में पौधारोपण एवं रखरखाव कार्य।	900	4.69		1 वर्ष
2	शहर पुलिस लाइन चांद पोल पर पौधारोपण एवं रखरखाव कार्य	900	4.69		1 वर्ष
3	राजस्थान पुलिस अकादमी पानीपेच शास्त्री नगर में पौधारोपण एवं रखरखाव कार्य	1700	4.37		6 माह
4	सांगानेरी गेट से ट्रासपोर्ट नगर रोड डिवाईडर पर पौधारोपण एवं रखरखाव कार्य	520	2.71		1 वर्ष
5	राज राजेश्वरी बावड़ी, जयपुर में वृक्षारोपण और रखरखाव कार्य	400	2.08		1 वर्ष

महोदय जी उपरोक्त स्वंय सहायता समूह के सभी सदस्यों से सलाह मशवरे के बाद तय किये गये है अतः...स्वंय सहायता समूह, के सभी सदस्य उपरोक्त कार्यो को हमारे द्वारा तय की गई राशि में एक वर्ष करने के लिए अपनी निविदा करते है। यदि कोई और स्वंय सहायता समूह इस से कम राशि में यह कार्य करने के लिये तैयार है तो हमारी निविदा को निरस्त समझा जाये।

दिनांक :.....................

हस्ताक्षर

अध्यक्ष / सचिव

............स्वंय सहायता समूह